न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना।

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–02/2018–19 (03/18-19

विजय कुमार बनाम अमर नाथ साव

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16-05-18	आवेदक की हाजरी पड़ी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मूल दस्तावेज पत्रांक में पारित आदेश के विरुद्ध है। आवेदक लोकल पत्रांक में पारित आदेश के विरुद्ध संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय को निहित भूमि सीलिंग पत्रांक अधिनियम 1961 की धारा-7 के अन्तर्गत अपील दायर कर सकते हैं। बाद की कार्रवाही समाप्त की जाती है। 16/5/18	